न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर । म•प्र• ।

निग• – 692 – II – 16 (99)

निगरानी प्र• क्र•–

1 सरजू काछी तनय स्वर्गीय छुद्दन काछी
2• मुल्ली तनय छुद्दन काछी
3• नत्थू कुशवाहा पुत्रगण छुद्दन काछी
4• छक्कू कुशवाहा पुत्रगण छुद्दन काछी

समस्त निवासीगण – ग्राम गुरैया
तह• व जिला छतरपुर म•प्र•

... निगरानी कर्तागण

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा आज दि. 26/2/16 को प्रस्तुत

// बनाम //

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म• प्र• भू• रा• संहिता 1959•

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर के प्र• क्र•–72/पुनर्वि• अ–65/09–10 में पारित आदेश दिनांक 22•2•11 एवं कलेक्टर महोदय, छतरपुर के न्यायालयीन मूल प्र• क्र•–26ए–65/84–85, आदेश दिनांक 16•1•85 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

महोदय, निगरानी कर्तागण सादर निम्न विनय प्रस्तुत करते हैं :–

1:– यह कि, आवेदक/निगरानी कर्तागण की कृषि भूमि खसरा नंबर 344 रकबा 0•619 हेक्टेयर स्थित मौजा ग्राम गुरैया रा• नि• मं• छतरपुर तहसील जिला छतरपुर है । उपरोक्त कृषि भूमि का कर्ता व मालिक आवेदक क्र• 1 पिता एवं आवेदक रहा है, तत्पश्चात भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता के नाम पर भूमि स्वामी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज रही है ।

2:– यह कि आवेदक का पिता अपने जीवनकाल में उक्त वादभूमि पर काबिज रहा है एवं पिता के समय में आवेदकगण भी काबिज रहे एवं वर्तमान में भी काबिज हैं । आवेदकगण के पिता के पिता (बब्बा) का नाम पिरवा काछी था एवं बब्बा को उपनाम बुदना काछी के नाम से भी जाना एवं पुकारा जाता था ।

3:– यह कि आवेदक के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वादभूमि खसरा नंबर 344 रकबा 0•619 हेक्टेयर वर्ष 1976–77 तक इन्द्राज रही है एवं वर्ष

..2..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 692 – दो/16 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
14.3.16	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी कलेक्टर जिला छतरपुर के पुनर्विलोकन प्र0क0 72/पुनर्विलोकन/09–10 में पारित आदेश दिनांक 22.2.2011 के विरूद्ध धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन एवं शपथपत्र के साथ विलम्ब माफ किये जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदकगण के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । धारा–5 का आवेदन पत्र समाधानकारक होने से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब माफ किया जाता है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण में समस्त अभिलेख की आदेश की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है इसलिये प्रकरण में अंतिम तर्क सुन लिये जावे। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण में अंतिम तर्क सुने । 3– आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया गया है कि भूमि खसरा न0 344 रकवा 0.619 हैक्टेयर स्थित ग्राम गुरैया की भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जो आवेदक के पिता स्व0 छुटट्न काछी के नाम वर्ष 1976–77 तक राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रही। वर्ष 1977–78 से वर्ष 1981–82 के पंचशाला खसरे से बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से खसरे की कॉलम नम्बर 3 व 4 से पिता स्व0 छुटट्न काछी का नाम काट दिया गया है और वर्ष 1983–84 के खसरे में म0प्र0	

शासन दर्ज कर तहसीलदार छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा राजस्व प्र0क0 26/अ–65/वर्ष 1984–85 आदेश दिनांक 16.1.1985 के माध्यम से वादभूमि के रकवा 0.619 हैक्टेयर से रकवा 0.304 हैक्टेयर आवास योजना हेतु आवेदंकगण को सुने बिना ही सुरक्षित कर दिया गया जबकि वाद भूमि पर आज भी आवेदकगण कृषि कार्य कर रहे हैं । उपरोक्त आदेश के विरूद्व पुनर्विलोकन आवेदनपत्र निगरानी प्र0क0 72/पुन0/अ–65/09–10 प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 22.2.2011 को समय बाह्य के आधार मानकर निरस्त किया गया।

4– आवेदकगण के पिता का नाम विन्ध्य प्रदेश अधिनियम में प्रवृत्त होने के समय से वर्तमान भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रवृत होने के पश्चात तक दर्ज रहा है, जबकि गैर हकदार काश्तकार को धारा 57 रीवा राज्य मालगुजारी कानून में परिभाषित किया गया था तथा उसके बाद प्रवृत विन्ध्य प्रदेश एवं वर्तमान भू–राजस्व संहिता दोनों में गैर हकदार काश्तकार की कोई श्रेणी नहीं है तथा नाही उक्त शब्द को परिभाषित किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण के पिता के नाम से दर्ज गैर हकदार की प्रविष्टि अवैधानिक है तथा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 (3) के अन्तर्गत भूमि स्वामी है। जिसमें भूमि स्वामी के गैर हकदार की प्रवृष्टि अवैधानिक एवं फर्जी है।

5–आवेदकगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया। वादभूमि के प्रस्तुत खसरा पंचशाला वर्ष 1955–56 में आवेदकगण के पिता स्व0 छुटट्न काछी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। वर्ष 1958–59 व 1920 से 1923 तक के खसरों

एवं वर्ष 1975–76 से वर्ष 1978–79 से 1981–82 में आवेदकगण के पिता स्व0 छुटट्न काछी को भूमि स्वामी के रूप में राजस्व रिकार्ड में नाम लेख है, जबकि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वर्ष 1982–83 के खसरे में म0प्र0 शासन लेख कर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा राजस्व प्र0क0 26/अ–65/84–85 आदेश दिनांक 16.1.1985 द्वारा आवेदकगण के पिता की भूमि खसरा न0 344 के रकवा 0.619 हैक्टेयर में से रकवा 0.304 हैक्टेयर आवासी प्रयोजन हेतु सुरक्षित करने में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जबकि आवेदकगण के पिता म0प्र0 भू–राजस्व संहिता लागू होने पर अधिनियम की धारा 158 (3) भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिसमें गैरहकदार की प्रविष्टि अवैधानिक है। आदेश के पूर्व आवेदकगण तथा उनके पिता छुटट्न को सुने बिना आदेश पारित किये जाने से कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 16.1.1985 निरस्त किया जाता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 16.1.1985 प्र0क0 26/अ–65/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 22.2.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा वादभूमि खसरा न0 344 रकवा 0.619 हैक्टेयर पर स्व0 छुटट्न काछी के वारिसान सरजू, मुल्ली, नत्थू, छक्कू, पुत्रगण छुटट्न काछी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य